राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर – 302004

क्रमांकः संस्था.–2 / 2023 / 9905 दिनांक : 10/03/2023

विज्ञप्ति संख्या – 02 / 2023

राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के अध्याय 4 में उल्लेखित नियम–17 में प्रगणित शर्तों के अनुसार **"एकल स्त्रोत उपापन समिति"** द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय की भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करवाने, विश्वविद्यालय के राजस्व नजरी नक्शा तैयार करवाने, अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर रिकॉर्ड एकत्रित करने, राजस्व न्यायालय एवं अन्य सक्षम न्यायालय में स्वामित्व तय करने हेतु वाद तैयार कर न्यायालय में पेश करने, विश्वविद्यालय की भूमि पर अवैध कब्जों को चिन्हित कर कब्जा हटवाने सम्बन्धित कार्यवाही इत्यादि विशिष्ट प्रकृति के कार्य सम्पादित करने हेतु (राजस्थान तहसीलदार सेवा) से सेवानिवृत्त तहसीलदार जो 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं के लिए सेवायें देने हेतु दिनांक 10–03–2023 से 20–03–2023 तक आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं।

इच्छुक प्रार्थी दिनांक 20–03–2023 को दोपहर 1:00 बजे तक केन्द्रीय कार्यालय, सरदार पटेल भवन, कमरा संख्या–226, संस्थापन–द्वितीय में सीलबन्द लिफाफे में अपना आवेदन मय दस्तावेजों सहित जमा करावा सकते हैं।

(श्रुति शेखावत)
उप कुलसचिव (संस्था.–2)

क्रमांकः संस्था.–2 / 2023 / 9906 – 12 दिनांक : 10/03/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राज.वि.वि., जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त विज्ञप्ति विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
2. समन्वयक, ई–प्रोक्यूरमेन्ट प्रकोष्ठ को प्रेषित कर लेख है, कि उपरोक्त विज्ञप्ति एस.पी.पी. पोर्टल पर अपलोड करने का श्रम करें।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जनसम्पर्क कार्यालय, राज.वि.वि., जयपुर को उक्त विज्ञप्ति क्षेत्रीय समाचार पत्र (समाचार जगत, महानगर टाईम्स, दैनिक नवज्योति) में प्रकाशित करवाने का श्रम करें।
4. वित्त नियन्त्रक एवं वित्तीय सलाहकार, लेखा एवं वित्त, राज.वि.वि, जयपुर।
5. वरिष्ठ निजी सहायक, कुलपति / कुलसचिव, राज.वि.वि., जयपुर।
6. रक्षित पंजिका।

(आनन्द सिंह पंवार) 10/3/23
सहायक कुलसचिव (संस्था.–2)